राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 325/2025

पंकज कुमार बोयत पुत्र श्री मुकेश कुमार बोयत, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी पारलिका, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।

2. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर जरिये इसके निदेशक।

3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री आर.एस. चौधरी
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री तनुज जैन श्री मुकेश दवे, सरकारी अधिवक्ता की ओर से

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश

13/01/2025

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अनंतिम चयन सूची दिनांक 07.10.2023 (अनुलग्नक 10) और अंतिम चयन सूची दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक 12) से उत्पन्न हुई है, जिसमें

याचिकाकर्ता को दिनांक 30.11.2023 के नोटिस/परिपत्र का लाभ न देते हुए उसका नाम अपवर्जित कर दिया गया है।

2. सुना गया।

3. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के पश्चात्, मेरा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि याचिकाकर्ता को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी नोटिस/परिपत्र दिनांक 30.11.2023 का लाभ दिया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है:

> "सूचना
> कक्षा *X* और *XII* के प्रतिशत की गणना
>
> सीबीएसई को विभिन्न व्यक्तियों से बोर्ड परीक्षा में छात्रों के प्रतिशत की गणना करने के मानदंडों को बताने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि परीक्षा उपनियमों के अध्याय-*7* की उपधारा *40.1 (iii)* यह प्रावधान करता है कि:-
>
> **कोई भी समग्र श्रेणी/विशेष योग्यता/कुल योग प्रदान नहीं किया जाएगा।**
>
> साथ ही, यदि किसी अभ्यर्थी ने *5* से अधिक विषयों का विकल्प चुना है, तो सर्वश्रेष्ठ *5* विषयों को निर्धारित करने का निर्णय प्रवेश देने वाली संस्थान या नियोक्ता द्वारा लिया जा सकता है। आगे, यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड अंकों के प्रतिशत की गणना/घोषणा/सूचना नहीं देता है। यदि उच्च शिक्षा या रोज़गार के लिए अंकों के प्रतिशत की आवश्यकता है, तो गणना, यदि कोई हो, प्रवेश देने वाली संस्थान या नियोक्ता द्वारा की जा सकती है।"

4. उपर्युक्त नोटिस/परिपत्र का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में पांच से अधिक विषयों की परीक्षा दी है तो उसे उसके सर्वोत्तम पांच विषयों का लाभ दिया जाना चाहिए।

5. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने भौतिकी और शारीरिक शिक्षा सहित छह विषयों का विकल्प चुना था। भौतिकी में याचिकाकर्ता को 49 अंक मिले, जबकि शारीरिक शिक्षा में उसे 82 अंकप्रदान किए गए हैं।

6. उपर्युक्त खंड की व्याख्या के अनुसार, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ पाँच विषयों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तदनुसार, न्यूनतम अंकों वाले विषय (भौतिकी) को छोड़ दिया जाना चाहिए, और अंक तालिका के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पांच विषयों के आधार पर प्रतिशत की गणना की जानी चाहिए।

7. परिणामस्वरूप, प्रतिवादीगण को यह निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित की जाती है कि वे याचिकाकर्ता के सर्वश्रेष्ठ पांच विषयों में उसके प्रदर्शन के अनुसार उचित लाभ प्रदान करते हुए, प्रतिशत की गणना के पश्चात् याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन (संलग्नक-10) का निर्णय करें।

8. जब तक लंबित अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उस श्रेणी में एक पद, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था, नहीं भरा जाएगा।

9. चूंकि एक पद आरक्षित रखा गया है, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी लंबित अभ्यावेदन पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

(अरुण मोंगा), जे

11-मोहन/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है - हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate